संख्या:प्र-४४०११/६/२०१४-प्रशासन-१

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: ~~जुलाई~~, 2014
१९ अगस्त

आदेश

पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग में माननीय कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों का, माननीय कृषि मंत्री के अनुमोदन से, निम्नलिखित प्रकार से आबंटन किया जाता है:-

1.1 निम्नलिखित मामले, जिनका निपटान कृषि मंत्री के स्तर पर अपेक्षित होता है, का निपटान कृषि राज्य मंत्री द्वारा किया जायेगा :-

(क) समूह 'ख' अधिकारियों के संबंध में संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभाग में स्थापना एवं कार्मिक संबन्धित सभी मामले ।

(ख) अतारांकित प्रश्नों, आश्वासनों तथा कागजात के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी संसदीय कार्य ।

~~1.2 निम्नलिखित मामले सचिव (पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग) द्वारा कृषि राज्य मंत्री~~ के माध्यम से कृषि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(क) सभी मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव और उससे संबन्धित सभी मामले ।

(ख) सभी ईजीओएम प्रस्ताव और उससे संबन्धित सभी मामले ।

1.3 निम्नलिखित पैरा 1.4 में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य सभी मामले कृषि राज्य मंत्री के माध्यम से कृषि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

1.4 निम्नलिखित विषय, सचिव (पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग) के माध्यम से, कृषि मंत्री को सीधे ही प्रस्तुत किए जायेंगे :-

(क) तारांकित प्रश्नों से संबन्धित सभी संसदीय मामले ।

(ख) समूह 'क' अधिकारियों, जिनकी ग्रेड पे ₹ 8700/- या उससे अधिक हो, उनके संबंध में संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभाग में स्थापना एवं कार्मिक संबन्धित सभी मामले ।

(ग) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सांविधिक निकायों एवं सोसाइटियों सहित स्वायत्त संगठनों के चैयरमेन/प्रबंध निदेशकों/सदस्यों के पदों पर नियुक्ति ।

(घ) प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, भारत सरकार, मुख्यमंत्रियों एवं कृषि मंत्रियों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देना ।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशी नियुक्तियाँ एवं प्रतिनियुक्तियों के सभी मामले ।

(च) ऐसे सभी महत्वपूर्ण एवं तत्काल किस्म के मामले जो सचिव (पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग) के नियंत्रण में हैं एवं जिन्हे कृषि मंत्री के तुरंत ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है ।

(संजय भूसरेड्डी)
सयुंक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण :-

1. कृषि मंत्री/कृषि राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
2. सचिव (पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग) के प्रधान निजी सचिव ।
3. सभी सयुंक्त सचिब / पशुपालन आयुक्त /सलाहकार (सांख्यिकी) ।
4. सभी निदेशक/ उप सचिव, पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग ।
5. सभी अवर सचिव, पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग ।
6. सभी अनुभाग/ईकाई, पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग ।
7. एन. आई. सी. (पशुपालन, डेरी एवं मतस्यपालन विभाग)-उपरोक्त सूचना को विभाग की वेब साइट पर अपलोड कर दिया जाए ।
8. स्वागत अधिकारी (गेट स० 1)/गार्ड मिसिल ।

संख्या- ए-44011/14/2014-प्रशासन-1
भारत सरकार
कषि मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक-11-09-2014

शुद्धिपत्र

इस विभाग के दिनांक 12.08.2014 के सम स. आदेश के पैरा 1.1 के (क) भाग को निम्नलिखित पढ़ा जाए :-

क. ग्रेड पे 8700 से कम वाले अधिकारियों के संबंध में संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभाग में स्थापना एवं कार्मिक संबन्धित सभी मामले।

(संजय भूसरेड्डी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण :-

1. कृषि मंत्री/कृषि राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
2. सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के प्रधान निजी सचिव ।
3. सभी संयुक्त सचिव/पशुपालन आयुक्त/सलाहकार (सांख्यिकी)।
4. सभी निदेशक/उप सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ।
5. सभी अवर सचिव, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ।
6. सभी अनुभाग/इकाई, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ।
7. एन.आई.सी. (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) उपरोक्त सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।
8. स्वागत अधिकारी (गेट सं. 1)/गार्ड मिसिल ।